कार्यालय टिप्पणी
एडीएम(ए)/वसीयत/2024

2025/44

विषय : बंद वसीयत वापिस लेने का प्रार्थना पत्र

महोदय,

प्रार्थी हरीचंद चुघ पुत्र श्री घमंडीराम, जाति अरोड़ा, निवासी 151 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, गवाहान का शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने की एफआईआर एवं आई0डी0 प्रूफ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 09.05.2002 को बंद वसीयत करवाई गई थी। अब प्रार्थी उपरोक्त बंद वसीयत को निरस्त करवाना चाहता है और वसीयत वापिस प्राप्त करना चाहता है।

वसीयतकर्ता प्रार्थी को गवाहान संजीव कुमार और लालचंद मिढ्ढा ने पहचाना है तथा वसीयतकर्ता एवं गवाह की शिनाख्त राजकीय कर्मचारी श्री मदनलाल संस्थापन अधिकारी, RJGA199435002347 द्वारा की गई है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 44 के अनुसार वसीयकर्ता को शील्ड कवर पैकेट बंद वसीयत वापिस लौटाये जाने के प्रावधान हैं।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को प्रार्थी को वापिस लौटाने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तावित है।

27/1/25

जिला पंजीयक महो0

27/1/25